17

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no- 07864-284666, email actwd.cgsukma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./वन अधि./2022-23/2304 सुकमा, दिनांक 26.12.2022

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क सूचना एवं प्रकाशन विभाग नवा रायपुर छ.ग.
संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषयः- **विज्ञाप्ति जारी करने के संबंध में।**

--000--

संलग्न विज्ञाप्ति को राज्य स्तरीय बहुप्रसारित 03 समाचार पत्रों में (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों) में लगातार तीन दिवस प्रकाशित करने का कष्ट करे। जिससे सुकमा जिला के अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के प्रभावी एवं सुचारू कियन्यवन हेतु अनुभाग स्तर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्त किया जा सकें। इस हेतु राज्य स्तरीय बहुप्रसारित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए, समाचारों पत्रों के एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- विज्ञापन।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा

क्रमांक/आ.वि./वन अधि./2022-23/2305 सुकमा, दिनांक 26.12.2022

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सहायक संचालक, जनसंपर्क सुकमा की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति 03 दिवस तक प्रकाशित करने का कष्ट करेगें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सुकमा को सूचनार्थ। कृपया sukma.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा

E:\New Patta 2022\Press Vigyapti.Docx

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no- 07864-284666, email actwd.cgsukma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./वन अधि./विज्ञा./2022-23/ सुकमा, दिनांक 12.2022

:: **विज्ञापन.** ::

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू कियान्वयन हेतु चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाने हेतु विज्ञापन कार्यालयीन पत्र कमांक/आ.वि./विज्ञा./2022-23/290 सुकमा दिनांक 31.05.2022 प्रसारित की गई थी। जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता हेतु पात्र आवेदन प्राप्त नही होने के कारण अंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 03.01.2023 तक आवेदन आमत्रित की जाती है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे। विवरण निम्नानुसार है :-

क.	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15,000.00 प्रतिमाह	01	09 माह	अनुभाग स्तर	जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना

टीपः- 1.मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज दिनांक 03.01.2023 तक समय 05 बजे अपरान्ह पंजीकृत डाक या स्वंय उपस्थित होकर इस कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास शाखा) जिला सुकमा में जमा कर सकते है। आवेदन प्रारूप शैक्षणिक योग्यता एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला सुकमा के वेब साईट www.sukma.gov.in पर देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा

E:\New Patta 2022\Press Vigyapti.Docx

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no- 07864-284666, email actwd.cgsukma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./वन अधि./विज्ञा./2022-23/2303 सुकमा, दिनांक 26.12.2022

:: **विज्ञापन** ::

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू कियान्वयन हेतु चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में **क्षेत्रीय कार्यकर्ता** की नियुक्ति किया जाने हेतु विज्ञापन कार्यालयीन पत्र कमांक/आ.वि./विज्ञा./2022–23/290 सुकमा दिनांक 31.05.2022 प्रसारित की गई थी।जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ता हेतु पात्र आवेदन प्राप्त नही होने के कारण अंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 03.01.2023 तक आवेदन आमत्रित की जाती है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15,000.00 प्रतिमाह	01	09 माह	अनुभाग स्तर	जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना

टीपः– 1.मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है

पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो । कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कियान्वयन का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगीं। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना होगा ।
3. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
5. आवेदन की प्रकिया तथा निर्धारित तिथि

   (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 03.01.2023 तक कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास शाखा) जिला सुकमा में जमा करेंगे।

   (ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा) जिला सुकमा में दिनांक 06 जनवरी 2023 को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने–जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरमाष/ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(v) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर सफल अभ्यार्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)

1. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित सौपे गये कार्य यथा--एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के कियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
3. एसडीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।
6. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
9. वन अधिकार जैसे– व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा